भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *129
उत्तर देने की तारीख 30 जुलाई, 2026
8 श्रावण, 1948 (शक)

असम में खेलो इंडिया योजना का कार्यान्वयन

***129 श्री जोगेन मोहन:**

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत असम के कितने एथलीटों को लाभ मिला है;

(ख) ऐसे एथलीटों को प्रदान की गई छात्रवृतियों और आर्थिक सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार राज्य के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में खेलो इंडिया केंद्रों का विस्तार करने का विचार रखती है; और

(घ) ज़मीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान करने और उन्हें निखारने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (घ)**:** एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

असम में खेलों इंडिया योजना का कार्यान्वयन के संबंध में श्री जोगेन मोहन द्वारा दिनांक 30.07.2026 के लिए पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *129 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) विगत तीन वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान असम राज्य से खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत सहायता प्राप्त खेलो इंडिया एथलीटों की संख्या निम्नानुसार है :

वर्ष	खेलो इंडिया एथलीटों की संख्या
2026-27	51
2025-26	52
2024-25	40
2023-24	39

उपरोक्त के अतिरिक्त, वर्तमान में खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत असम राज्य में 66 खेलो इंडिया केन्द्रों में 3,027 एथलीट तथा 01 खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केन्द्र में 84 एथलीट लाभान्वित हो रहे हैं।

(ख) खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत एथलीटों को प्रतिवर्ष 6.28 लाख रु. की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसमें 10,000 रु. प्रतिमाह का आउट-ऑफ-पॉकेट भत्ता (ओपीए) व्यक्तिगत एवं आकस्मिक खर्चों के प्रबंधन हेतु, सीधे एथलीट के खाते में हस्तांतरित किया जाता है। वार्षिक वित्तीय सहायता की शेष राशि का उपयोग उच्च गुणवत्ता की कोचिंग, विशेष आहार, आवास, खेल उपकरण, चिकित्सा बीमा, किट तथा खेल विज्ञान संबंधी सहायता उपलब्ध कराने पर किया जाता है।

(ग) 1,250 संस्वीकृत खेलो इंडिया केन्द्रों के सापेक्ष, ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों सहित 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 1,066 खेलो इंडिया केन्द्र अधिसूचित किए जा चुके हैं।

(घ) खेलो इंडिया स्कीम के "प्रतिभा पहचान एवं विकास" उप-घटक के अंतर्गत देशभर में जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान करके उनका पोषण एवं विकास किया जाता है। इसके अतिरिक्त, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन, भारतीय खेल प्राधिकरण (साई), विभिन्न आयु वर्गों में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करके उनके पोषण एवं विकास हेतु देशभर में विभिन्न खेल संवर्धन स्कीमों का कार्यान्वयन करता है।
